

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)जी-39/आ.कृ./गुप-9/


दिनांक

कार्यालय-आदेश

श्री रामावतार शर्मा सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी सिक्षेवि, इंगानप, बज्जू में कार्यरत है को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 31.03.2020 से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री रामावतार शर्मा के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।



(डॉ ओमप्रकाश)

आयुक्त कृषि

क्रमांक:-प.2(सब)/जी-39/आ.कृ./गुप-9/ 3853-59 दिनांक:- 05-03-2020

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर ।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि) बीकानेर ।
3. उप निदेशक कृषि (वि) सिक्षेवि, इंगानप बीकानेर ।
4. जिला विस्तार अधिकारी सिक्षेवि, इंगानप, बज्जू
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
6. श्री रामावतार शर्मा सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय जिला विस्तार अधिकारी सिक्षेवि, इंगानप, बज्जू ।
7. निजी पंजिका ।



(सीताराम जाट)

संयुक्त निदेशक,कृषि (प्रशासन)